

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, बस्ती, लखीमपुर खीरी, आजमगढ़, गोण्डा, मुरादाबाद, गोरखपुर, चित्रकूट, बहराइच, एवं कुशीनगर,।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 15 जून, 2021

विषय:- जनपदों में तैनात आपदा विशेषज्ञों को मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-364/एक-10-2021-11(जी)/2017, दिनांक 31 मई, 2021 के क्रम में उक्त जनपदों के जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरणों में तैनात आपदा विशेषज्ञों के 03 माह (माह मार्च, 2021 से मई, 2021 तक) का मानदेय, रू० 40,000/-प्रति माह के अनुसार दिये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-07-जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत रुपये 14,40,000/- (रुपये चौदह लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि, निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नीचे दी गयी तालिका में उल्लिखित जनपदों के जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	जनपद का नाम	धनराशि (लाख रू० में)
1	सोनभद्र	1.20
2	बलिया	1.20
3	गाजीपुर	1.20
4	बस्ती	1.20
5	लखीमपुर खीरी	1.20
6	आजमगढ़	1.20
7	गोण्डा	1.20
8	मुरादाबाद	1.20
9	गोरखपुर	1.20
10	चित्रकूट	1.20
11	बहराइच	1.20
12	कुशीनगर	1.20
	योग	14.40
(रुपये चौदह लाख चालीस हजार मात्र)		

- (1) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।
 - (2) जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा उक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 के नियम-209 तथा चैप्टर-1 के संलग्नक-ए में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (3) आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 में उल्लिखित जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के प्राविधानों के अनुसार धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा।
 - (4) व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जायेगा और महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
 - (5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-359-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाय।
 - (6) स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04 मार्च, 2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
- 2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत- 80- सामान्य-800- अन्य व्यय-07-जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,


(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्या- 1020 (1)/एक-10-2021-33(79)/15 टीसी, तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित, मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 6- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 7- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(राम केवल)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-16/06/2021

प्रेषण संख्या:- 1020
आवंटन आदेश संख्या:- 058-2021-2022
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
07 - जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	120000 220000	120000 220000
2	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	120000 220000	120000 220000
3	बलिया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	120000 220000	120000 220000
4	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	120000 220000	120000 220000
5	बस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	120000 220000	120000 220000
6	आजमगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	120000 220000	120000 220000
7	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	120000 220000	120000 220000
8	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	120000 220000	120000 220000
9	बहराइच-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	120000 220000	120000 220000
10	सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	120000 220000	120000 220000
11	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	120000 220000	120000 220000
12	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	120000 220000	120000 220000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1440000 2640000	1440000 2640000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौदह लाख चालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छब्बीस लाख चालीस हजार

(उमेश कुमार गुप्ता)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन